प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— सौंग—1 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम — नकरौंदा

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग—1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि —हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......नकरौंदा...... द्वारा दिनांक 1/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......नकरौंदा...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम विकास अधिकारी
हेतु ...... नकरौंदा
वि.ख. डोईवाला (देहरादून)
ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत नकरौंदा
1/7/18
ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— सौंग—1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नथुवावाला

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग—1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि —हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नथुवावाला द्वारा दिनांक 6/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नथुवावाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ..... नथुवावाला
वि.ख. डोईवाला (देहरादून)

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौड़ा सरोली

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली .... द्वारा दिनांक 25/6/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली विकास खण्ड – रायपुर जनपद – देहरादून	प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली वि०ख०-रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बड़ासी ग्रांट

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, -- हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......बड़ासी ग्रांट...... द्वारा दिनांक 3/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......बड़ासी...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत–
मुहर सहित विकास खण्ड–
जिला–

प्रधान ग्राम पंचायत बड़ासी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
ह0
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — बालावाला

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......बालावाला...... द्वारा दिनांक 7/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम ..... बालावाला
वि.ख. डोईवाला (देहरादून)

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत बालावाला
श्रीमती ...
07/07/2018
वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कालूवाला
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (136.85 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 136.85 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालूवाला द्वारा दिनांक 03/04/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालूवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 8.7.18
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...कालूवाला...
वि०ख० डोईवाला, जिला-देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
ग्राम पंचायत कालूवाला
विकास खण्ड डोईवाला, देहरादून
दि0 08/07/018

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......[illegible]...... द्वारा दिनांक 30/06/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......[illegible]...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जंनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....माजरी ग्रांट.... द्वारा दिनांक 30/6/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....माजरी ग्रांट.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(मुहर) दि० 30/6/18

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

(मुहर) दि० 30/6/18

सुलोचना पाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य माजरी II
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ———

तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......जीवनवाला...... द्वारा दिनांक 30/6/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......फतेहपुर टांडा...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हरदीप वर्मा
उप–प्रधान ग्राम सभा जीवनवाला
(फतेहपुर टांडा)
वि.कास खण्ड डोईवाला, देहरादून।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

जिला पंचायत सदस्य
डोईवाला
Yogendra Singh
9/6/18

सुलोचना पाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य माजरी II
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विवेक कुमार S/o ईश्वर दास
वार्ड सदस्य–ग्राम पंचायत–जीवनवाला

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....डैसवाला (डोईवाला)... द्वारा दिनांक 4/7/018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत डैसवाला (डोईवाला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

क्र0 3644

ग्राम पंचायत डैसवाला
4/7/18

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

सलोचना देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत डैसवाला
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सलोचना देवी

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम ———

तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रखवाल गांव द्वारा दिनांक 25-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रखवालगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत रखवालगांव
ब्लाक डोईवाला (देहरादून)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम सचिव 27-7-18
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रखवालगांव
वि0 ख0 डोईवाला जिला– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....गडूल........ द्वारा दिनांक 5/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...[illegible]... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कमला पुण्डीर
(श्रीमती कमला पुण्डीर)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गडूल
वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत....गडूल....
वि0 ख0 डोईवाला जिला- देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ———

तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .... द्वारा दिनांक 4/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 4/7/2018

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रानी पोखरी ग्रान्ट द्वारा दिनांक 5/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम सभा रानीपोखरी ग्रान्ट
जिला देहरादून
ह0
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>
ग्राम पंचायत का नाम ———
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामनगर डांडा द्वारा दिनांक 10-7-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम सचिव रामनगर डांडा
मुहर सहित
जिला–

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत रामनगर
प्रधान
ह0
दि0 10-7-18
विकास खण्ड रायपुर, थानो, देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटी मयचक......... द्वारा दिनांक 10-7-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत – कोटीमयचक
विकास खण्ड सचिव
मुहर सहित

(मुहर: प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीमयचक, विकास खण्ड रायपुर, देहरादून)
ह0
दि0 10-7-2018
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रानीपोखरी ग्रान्ट द्वारा दिनांक 04/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि0 खण्ड डोईवाला, देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत मौजा रानीपोखरी
ह0 [signature]
दि0 4/7/18
वि0 खं0 डोईवाला (देहरादून)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— जाखन—2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के बडकोट रेंज की जाखन—2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (96.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि —हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 96.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....माजरी ग्रान्ट........ द्वारा दिनांक 4/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....माजरी ग्रान्ट........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(प्रधान, ग्राम पंचायत माजरी ग्रान्ट, विकास खण्ड डोईवाला — stamp)

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पचायत विकास अधिकारी
ग्राम पचायत माजरी ग्रान्ट
विकास खण्ड डोईवाला देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के बडकोट रेंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (96.50 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि –है0, वन पंचायत भूमि – है0) अर्थात कुल 96.50 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रैनापुर ग्रान्ट...... द्वारा दिनांक 13/07/18 को सम्पन्न ग्राम **सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा** आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......दयालपुर...................... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि0 खण्ड डोईवाला, देहरादून

प्रधान, ग्राम पंचायत रैनापुर ... वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ———
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के बडकोट रेंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (96.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 96.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...अधुरवाला... द्वारा दिनांक 08/07/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...अधुरवाला... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित